23/8/25 पत्रावली पेश हुई। (वादी) प्रार्थी के अधिवक्ता उपग/ वादी के फौत होने की सूचना स्वयं वादी अधिवक्ता द्वारा दि० 8/3/22 को न्यायालय की आदेशिका पर अंकित की जाने के 3 वर्ष बाद कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र मय मियाद अधिनियम के प्रावधान के साथ O.22 R.3 व धारा 151 CPC का पेश किया। प्रार्थना पत्र के साथ वादी की मृत्यु का प्रमाण-पत्र संलग्न है जिसके अनुसार वादी दिनांक 1/1/21 को ही फौत हो चुका है। प्रकरण

वाद सं० 117/19 कल्याण v/s सरजू

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
में वादी के अलावा अन्य कोई पक्षकार नहीं है। बाद खातेदारी घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का है। मृत्यु की सूचना के 90 दिवस में कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र पेश किया जाना था परन्तु 1 वर्ष पश्चात पेश किया जिसके साथ मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र लगाया उसमें जो विलम्ब का कारण अंकित किया है वह उचित व सन्तोषप्रद नहीं होने से प्रार्थना पत्र ग्राह्य योग्य नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र O.22 R.3 व धारा 151 CPC का प्रार्थना पत्र खारीज किया जाता है एवं वादी का वाद अबेट किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।	
(हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा	